बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना– 15, दिनांक–

जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 958 दिनांक 11.07.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि कटिहार नगर सहायक थाना कांड संख्या 318/2018 दिनांक 25.08.2018 (धारा–377 भा0द0वि0) के प्राथमिक अभियुक्त मो0 जफर रकीब (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 528/11, अपर समाहर्त्ता, कटिहार को अप्राकृतिक यौनाचार करने के आरोप के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक 06.07.2018 को मंडल कारा, कटिहार में भेजने का आदेश दिया गया है। वर्तमान में मो0 रकीब को मंडल कारा, कटिहार में कारावासित की सूचना प्राप्त है।

2. मो0 रकीब को उक्त आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–9(1)(क), (ग) एवं नियम–9(2) के प्रावधानों के तहत् उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 06.07.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में मो0 रकीब को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–10 के तहत् अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(भीम प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

स्पीड पोस्ट

फैक्स

ज्ञापांक–2/आरोप–01–18/2018–सा0प्र0–9899 /पटना, दिनांक–25-7-18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/पुलिस अधीक्षक, कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/मो0 जफर रकीब (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 528/11, सम्प्रति काराधीन, मंडल कारा, कटिहार/संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर, (**विभागीय website : www.gad.bih.nic.in पर दर्शाने हेतु**), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, कटिहार से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में मो0 रकीब के कृत्यों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 15983 दिनांक 14.12.2017 निर्गत परिपत्र में आरोप–पत्र गठित कर एक पक्ष के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।